न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-18/2011

गिरधारीलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी कुमावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू जरिये मुख्तयार हनवाराम पुत्र जगनसिंह जाति जाट निवासी ढाका का बास पोस्ट अमेरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्ट--

--बनाम--

1- दडकीदेवी पुत्री हनुमान स्त्री श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ठिमोली आबाद कुमावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

2- सहायक अभियन्ता अमेरा विद्युत वितरण निगम लि0 मुकंदगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 7-3-2011 द्वारा उप खण्ड अधिकारी नवलगढ ।

---0---

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

उपस्थिति-

1- श्री राजेश पूनिया एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री मनोजकुमार शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 18.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुमावास में पुराने ख0नं0 20, 27, 219, 256 कुल किता-4 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0- 42, 59, 288, 334, 658/290, 287, 58 कुल किता-7 रकबा 7.96 हैक्टर है जो पैत्रिक हैं । जो आवेदक के पूर्वज

भैंरू आवेदिका का चाचा था । इन दोनों ने ही अपने अपने हिस्से का भूमि के उपजाऊपन के हिसाब से कम ज्यादा का बंटवारा कर रखा था ।आवेदिका को उसके पिता की आराजी नये ख0नं0 42, 59, 288, 334, 658/290 कुल किता-5 रकबा 4.53 हैक्टर थी शेष आवेदिका के चाचा की जिसका कोई विवाद नहीं । हनुमान के देहान्त पर आवेदीका के हिस्से की आराजी गलत रूप से प्रतिवादी सं0-1 से 4 के नाम दर्ज हो गई ।जबकि हनुमान के सभी वारिसो के नाम फौती इन्तकाल तस्दीक किया जाना चाहिये था किन्तु हनुमान के पुत्रों के नाम ही फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया जबकि हनुमान की आराजी में उसके वारिसों का प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या-1 से 4 का भी कुल 4/7 हिस्सा है ।उक्त आराजी पर आवेदिका एवं प्रतिवादी सं0-1 से 6 ने मिलकर एक शामलाती ट्यूबैल बना लिया जिस पर अनावेदक संख्या-1 गिरधारीलाल अपने अकेले के नाम से विद्युत सम्बन्ध लेने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं ।अतः अनावेदक संख्या-1 को पाबन्द किया जावे कि वह गलत राजस्व रेकार्ड की आड में उक्त आराजी का बैचान नहीं करे, ट्रांसफर नहीं करें मौके की यथास्थिति बनाये रखे, आवेदिका के कब्जा काश्त में कोई दखल अन्दाजी नहीं करें । अदालत मातहत ने आवेदिका का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने में आदेश-39 नियम-1 व 2 सीपीसी के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। अदालत मातहत ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दू पर विस्तृत व्याख्या ना कर अपना आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का मुख्य आधार विवादित आराजी को पक्षकारों की पैतृक मानकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पैतृक भूमि में उत्तराधिका-

इस बाबत अपीलान्ट ने अपना जबाब पेश किया है किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट के जबाब का नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है विवादित आराजी का बंटवारा अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में कर दिया था । जिसमें प्रतिवादी सं0-2 ने अपना 1/4 हिस्सा जरिये बहि लिखावट के दिनांक 21-4-1991 को कर दिया। इसी अनुसार मेरा 1/2 हिस्से पर कब्जा है ।बंटवारा शुद्धा आराजी है । जिसमें टुबैल मैंने स्वयं ने बनवाया है जिसमें विद्युत कनेक्शन लेने का अपीलान्ट को कानूनी अधिकार है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 एवं प्रतिवादी सं0-5 व 6 ने उक्त भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया और ना ही इस आराजी पर इनका कोई कब्जा रहा है । इन्होने अपने हक हिस्से का हक त्याग कर दिया था । अपने हिस्से में अपीलान्ट के भाई भगवानसिंह ने जब अपने हिस्से में बने टुबैवल में विद्युत कनेक्शन लिया तब रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने कोई ऐतराज नहीं किया है । इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख भी नहीं किया है ।रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है इस बिन्दू पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पिता हनुमान की खातेदारी की थी। जिसने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी का चारो भाई में विभाजन कर दिया था तथा अपीलान्ट की बहिनों ने अपना हक त्याग कर दिया जिससे यह आराजी चारो भाईयों के नाम दर्ज हो गई जिसमें प्रतिवादी सं0-2 प्यारेलाल ने अपना हिस्सा जरिये बहि की लिखावट से अपीलान्ट को बेचान कर दिया

जिससे अपीलान्ट के पास उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा है । मौके पर बंटवारा होने पर भगवानसिंह ने अपने हिस्से में ट्यूबैल बनाकर विद्युत कनेक्शन लिया तब रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने कोई ऐतराज नहीं किया ।इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है ।तथा वह केवल अपीलान्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर कोई व्याख्या न कर आदेश पारित किया है तथा एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया किया कि विवादित आराजी पैत्रिक सम्पति है । जिसमें खातेदार हनुमान की पुत्री रेस्पोडेन्ट सं0-1/आवेदिका है जिसका विवादित आराजी में हक हिस्सा एवं कब्जा होने पर अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है ।अदालत मातहत ने विवादित आराजी में प्रत्येक उत्तराधिकारी का हिस्सा मानकार आदेश पारित किया है ।जिसमें अपीलान्ट को विवादित आराजी का बैचान/स्थानान्तरण नहीं करने व मौके की यथास्थिति का आदेश दिया है जो उचित एवं विधिक है जिसमें इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है ।इसके सम्बन्ध में आरआरडी 2002 पेज 361 पेश कर निवेदन किया प्रस्तुत नजीर में स्पष्ट किया गया है कि जहां पक्षकारान की सह खातेदारी की जमीन हो वहां पर एक खातेदार अगर बिजली का कनेक्शन लेकर कुऐ से पानी निकालता है तो उसको इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। अकेला पक्ष बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकता ।अदालत मातहत में के आदेश दिनांक 7-3-2011 की अपील को चलते अर्सा 7 वर्ष हो गया । इस दमियान बिजली का कनेक्शन लेने की अपीलान्ट को अब अचानक जल्दी हो गई है । इसके बजाय अपीलार्थी निचली अदालत में दावा निर्णित करवा लेते

उसकी बहिन रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को उसको उसका हक हिस्सा मिल जाये । प्रकरण पैतृक सम्पति का है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या-1/आवेदिका का हक हिस्सा है किन्तु प्रतिवादी संख्या-1 से 4 ने हनुमान के देहान्त पर फौती इन्तकाल हनुमान की पुत्रियों को छोडकर चारों ही पत्रों के नाम से दर्ज करवा लिय तथा इस गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर आराजी का बैचान/अन्तरण कर मौका सूरत बदलने पर आमादा है तथा इस आराजी पर अकेले अपने नाम से बिजली कनेक्शन लेकर रेस्पोडेन्ट सं0-1 को उसके पिता की आराजी में से उसके हक हिस्से से महरूम करने पर आमादा है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित कर विवादित आराजी परअस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जो उचित एवं विधिक है ।अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया नकल जमाबन्दी सं0-2026 से 2029 में ख0नं0 20, 27, 219, 256 कुल किता-4 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी हनुमान, भैरू पि0 दुर्गा के नाम दर्ज है ।नकल जमाबन्दी सं0-2067 से 2070 में आराजी ख0नं0 42, 59, 288, 334 व 658/290 कुल किता-5 रकबा 4.53 हैक्टर की खातेदारी भगवानसिह प्यारेलाल, श्रवणकुमार, , गिरधारीलाल पि0 हनुमान के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया ।राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी सं0 2026 से 2029 में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पिता एवं उनके चाचा भैरू की खातेदारी में दर्ज रही है । हनुमान की वंशावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 पुत्र, प्रतिवादी सं0-5 व 6 तथा आवेदिका/वादी पुत्रिया है । इस तथ्य से अपीलान्ट ने इन्कार नहीं किया है । यह तथ्य स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पिता हनुमान की खातेदारी में दर्ज है अर्थात विवादित आराजी पैतृक है जिसमें हनुमान के सभी वारिसानों का हक हिस्सा निर्धारित है ।गलती से हनुमान के फौत होने पर उसके पुत्रों के नाम दर्ज हो गया और पुत्रियों के नाम दर्ज नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर आराजी का अन्तरण/ बैचान किया जाता है तो अपीलान्ट सहित रेस्पोडेन्ट/आवेदिका को ही है ।

साथ ही राजस्व रेकार्ड से विवादित आराजी पैतृक साबित है । किन्तु विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या-1 भगवानाराम पुत्र हनुमान नेगा अपने हिस्से में बने चाह में बिजली अपने नाम से लगा रखी है। जिसकी वृत खण्ड सं0-2032 बाईण्डर सं0-241, वर्तमान खाता संख्या-10255 सेवा क्रमांक- 5691 बिल 30-12-2005 का संलग्न है । प्रतिवादी संख्या-1 भगवानाराम ने जब अपने चाह में बिजली का कनेक्शन लिया तब रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने कोई ऐतराज नहीं किया । यह इस बात से स्पष्ट है कि भगवानाराम पुत्र हणमान के नाम से बिजली का बिल 30-12-2005 का है ।अपीलान्ट विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ।आराजी का अन्तरण/बेचान किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को अपूर्णिय क्षति होगी । किन्तु विवादित आराजी में अपीलान्ट बिजली का कनेक्शन लेता है तो उससे रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। बिजली का कनेक्शन आराजी के विकास की श्रेणी में ही आता है ।अतः हम अदालत मातहत के आदेश में बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जाने को उचित नहीं मानतें । बिजली के कनेक्शन लेने के लिये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-2 को कनेक्शन देने के लिये स्वतन्त्र रखा जाना उचित मानते है ।ब विवादित आराजी में पूर्व में प्रतिवादी संख्या-1 ने अकेले ने अपने नाम से विद्युत सम्बन्ध ले रखा है । अब अपीलान्ट को विद्युत सम्बन्ध लेने से रोका जाता है तो न्यायिक नहीं है ।विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने जो नजीर आर0 आर0डी0 2002 पेज 361 पेश की है उसके तथ्य भिन्न है ।जो प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है ।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय दिनांक 7-3-2011 को अप्रार्थी सं0-2 को पाबन्द किया जाता है कि "मूल दावे के निर्णय तक अनावेदक सं0-1 के नाम से किसी भी प्रकार का कोई विद्युत सम्बन्ध नहीं देवें" की हद तक निरस्त किया जाता है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.7.2018 को सुनाया गया ।

18/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा) 18/7/18